



प्रसार भारती/Prasar Bharati  
भारत का लोक सेवा प्रसारक/  
India's Public Service Broadcaster  
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan  
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg  
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.फ.सं.No. 904/51/2018-19/एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/8

दिनांक/Date: 31.01.2020

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER**

**विषय/Subject : दूरदर्शन के आई. आर अनुभाग में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के नामांकन हेतु/Declaration of CPIO for I.R. Section.**

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत आई.आर. अनुभाग के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्रीमती नीतू सैनी, अनुभाग अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है/The Competent Authority, has accorded the approval to designate Smt. Neetu Saini, Section Officer as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to I.R. Section.

(डॉ. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा में/To,

श्रीमती नीतू सैनी, अनुभाग अधिकारी एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, आई. आर. अनुभाग/ Smt. Neetu Saini, Section Officer & CPIO, I.R. Section.

**प्रतिलिपि/Copy to:-**

1. अपर महानिदेशक, आई. आर. अनुभाग/Addl. Director General, I.R. Section.
2. आई.टी. सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को [www.ddindia.gov.in](http://www.ddindia.gov.in) वेबसाइट के आरटीआई वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु उपलोड कर दें/IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of [www.ddindia.gov.in](http://www.ddindia.gov.in) for information of all concerned.

(डॉ. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI